महत्वपूर्ण एवं खास

जनपद कार्यालय में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

जशपुर (आरएनएस)। जिले के कांसाबेल में फंसी के फंदे पर झूलते हुए एक युवक की लाश मिलने की खबर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जनपद पंचायत कार्यालय में युवक को फांसी के फंदे पर झूलते हुए लोगो ने सुबह सुबह देखा। मृतक युवक कांसाबेल का ही बताया जा रहा है। आत्महत्या करने वाले युवक का नाम इमरान उम्र तकरीबन 25 वर्ष बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि जाँच जारी है।अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 की मौत, 4 गंभीर

जशपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक दर्दनाक खबर प्रकाश में आ रही है। जिले के सन्ना इलाके से 10 किमी दूर दूभर कोना में थोड़ी देर पहले गाज गिरने से एक साथ 3 लोगो की मौत हो गयी है। जबकि 4 लोग गाज की चपेट में आने से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक गाज की चपेट में आकर जान गंवा चूके मृतक मिर्ची खेती की रखवाली कर रहे थे तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गयी।इसी बीच आकाशीय बिजली गिरी और मिर्ची खेत मे मौजूद करीब 7 से 8 लोगो को अपने चपेट में ले लिया । 3 की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि अन्य घायलों को सन्ना और छिछ्ली असप्ताल लाया गया है। मौसम विभाग ने बीते 24 घंटे पहले राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश तथा वज्रपात के साथ तेज हवा और अंधड़ चलने की संभावना जताई थी। उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जशपुर जैसे जिलों के सुदूर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बज्रपात भी हुई है।

ट्रक के केबिन से 11 बॉटल अंग्रेजी शराब जब्त, चालक गिरफ्तार

भिलाई (आरएनएस)। ट्रक के केबिन में रखकर अवैध शराब ले जाते चालक को गिरफ्तार कर पुलिस ने ट्रक के केबिन से 11 बॉटल अंग्रेजी शराब बरामद कर जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार जामुल पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर 02 मई को मुखबीर की सुचना पर एक आईशर वाहन ट्रक क्रमांक सीजी 07 बीएस 1180 को शिवपुरी नाला जामुल में रोककर ट्रक की तलाशी लेने पर केबिन के अंदर जुट के बोरे में अंग्रेजी शराब छुपा कर रखा मिला। चालक का नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम परस राम निर्मलकर उम्र 39 पिता हीरा लाल निर्मलकर वर्ष निवासी देवनगर शिवपुरी थाना जामुल जिला दुर्ग बताया। केबिन के अंदर अंग्रेजी व्हीस्की शराब 03 बोतल एवं 03 बोतल 8 पीएम 02 बोतल 02 बोतल मैजिक मुमेंट, 02 नग ब्लैकडाग अद्धी प्रत्येक में 375 रूप भरा हुआ शीलबंद कुल कीमत 8120 रूपये एवं वाहन 12 लाख जब्त कर कब्जा में ले लिया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34/2 के तहत कार्रवाई की गई है।

ऑटो में लगी आग ,मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

रायपुर (आरएनएस)। गली में खड़ी ऑटो में किसी ने मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी। जिसके चलते ऑटो जलकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। मिली जानकी के अनुसार संतोषीनगर के पास ग्राम आमासिवनी निवासी रामकुमार संत 42 वर्ष ने विधानसभा थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि प्रार्थी ड्रायवरी का काम करता है। 02 मई को ऑटो क्रमांक सीजी 04 एमएस 3679 को अपने घर के गली में खड़ी किया था। तथा खाना खाकर रात में सो गया। रात 2 बजे पालतु कुत्ते की भोकने की आवाज सुनकर उठा तब ऑटो धुंआ निकलता देख बाहर निकलने पर किसी ने ऑटों में आग लगा दिया था व मिट्टी तेल छिड़कने का गंध आ रही थी। आग लगने की वजह से ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने से करीब 40 हजार रुपये का नुकसान होने की अनुमान है।

लॉकडाउन को लेकर छत्तीसगढ़ में अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, देशभर में लम्बे लॉकडाउन की चल रही चर्चा

» बिलासपुर संभाग में कोरोना की स्थिति गंभीर

» मुख्यमंत्री और स्वास्थ्यमंत्री लगातार बनाये हैं स्थिति पर नजर

रायपुर (आरएनएस)। देश में मार्च 2021 के बाद बढ़ते कोरोना के दूसरे स्टेज का संक्रमण बहुत भयानक रूप से लोगों को बीमार कर रहा है। दूसरे स्टेज का कोरोना संक्रमण लोगों पर अत्यधिक हावी हो चुका है। जिसके कारण लोग लेटलतीफी से इलाज के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं।

छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में संक्रमण के बाद स्थिति भयावह हुई है। देश की राजधानी नई दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 मरीजों की संख्या केन्द्र सरकार को चिन्ता में डाल दिया है। इस बार ऑक्सीजन के कारण कोविड-19 संक्रमित लोगों की जान जा रही है। जिसे देखते हुए केन्द्र और राज्य सरकारों ने ऑक्सीजन की व्यवस्था पर अपना दाव लगा दिया है।

इधर कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी को लेकर द्वितीय बार लगा लम्बा लॉकडाउन जो 9 अप्रैल से 6 मई के मध्य लागू है।

केन्द्र की सूची में छत्तीसगढ़ के 21 जिले - बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग अधिकांश जिले प्रभावित हुए हैं। छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के विभिन्न राज्यों के जिलों में कोरोना संक्रमण की भयावक्ता के चलते केन्द्र सरकार ने एक सूची तैयार की थी। इस सूची में 15 प्रतिशत से अधिक कोरोना संक्रमित वाले जिले शामिल किये गये। इस सूची में छत्तीसगढ़ के 21 जिले का भी नाम शामिल है।

मुनाफाखोरों के कारण बढ़ी परेशानी - द्वितीय लहर खतरनाक होने के कारण इन दिनों रायपुर, दुर्ग,बिलासपुर सहित प्रदेश के अनेक जिलों में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा लाभ मुनाफाखोर, जमाखोर व्यापारी उठा रहे हैं। जहां सब्जी में आवक अधिक होने के कारण सब्जी उत्पादकों को लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। वहीं सस्ती सब्जी बाहर भेजे जाने के अभाव में खराब होने के डर से जल्दी बेची जा रही है। अनाज मसाला, तेल, किराना समान, गुटखा, जर्दा पान मसाला सहित कोरोना संक्रमित मरीजों के प्राण बचाने में उपयोग में आने वाले इंजेक्शन सहित अनेक सामानों की खुलेआम कालाबाजारी की जा रही है। होम डिलीवरी के चक्कर में शहर में अनेक लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीद से वंचित है। बाजार नियत समय में खोलने की अनुमति नहीं मिलने के कारण एक वर्ग विशेष को लॉकडाउन से आपदा में अवसर तलाशने का मौका मिला है।

रोज खाने कमाने वालों पर टूटा दुःखों का अंबार- इधर शहर में लॉकडाउन बढ़ने की अफवाह के कारण रोज खाने कमाने वाले बेहद नाजूक स्थिति में जी रहे हैं। कई परिवारों में भोजन सामाग्री नहीं होने के कारण भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री से चर्चा कर कोरोना संक्रमण की द्वितीय रफ्तार में इजाफे को देखते हुए लम्बा लॉकडाउन लगाने की तैयारी की चर्चा भी जोर-शोर से जारी है। छत्तीसगढ़ के राजधानी के कई समाजसेवी संस्था और राजनीतिक दलों द्वारा शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर बैठे दिनहीन गरीब लोगों को भोजन सामाग्री का पैकेट बांटा जा रहा है।

कोरोना पीड़ित मरीजों के परिजनों को प्रतिदिन किया जा रहा 600 पैकेट भोजन का वितरण

रायपुर (आरएनएस)। समाज सेवा के प्रति पूरी निष्ठा के साथ समर्पित राजधानी की सामाजिक संस्था 'मैं जिन्दा हूँ' द्वारा मेकाहारा में भर्ती कोरोना पीड़ित निर्धन मरीजों के परिजनों के लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था की जा रही है। मरीजों के साथ परिजनों का मनोबल भी बढ़ाया जा रहा है। सामाजिक संस्था 'मैं जिन्दा हूँ' के मार्गदर्शक रायपुर नगर निगम के पूर्व एल्डरमेन व समाजसेवी विवेक बर्धन ने बताया कि संस्था द्वारा कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की जा रही है जिससे उन्हें लॉकडाउन में भूखे भटकना न पड़े। प्रतिदिन 600 पैकेट शुद्ध व गरम भोजन वितरित किया जा रहा है। सोमवार को संस्था के सदस्यों द्वारा 650 पैकेट भोजन का वितरण किया गया। संस्था द्वारा इन हेतु गठित टीम में संरक्षक अम्बी नटराजन, अध्यक्ष रोशन राव, बबला यादव, अजीत यादव, तिलक वर्मा, रामकुमार छेदाइया, नन्दकिशोर वस्त्रकार, बुद्धप्रिय बांद्रे, संजू मसीह आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। बर्धन ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य कर्तव्य भाव, निस्वार्थ भाव, निष्काम भाव, अपनत्व और पूजा भाव से सेवा करना है। यही भाव हमें संपूर्ण समाज में जगाना है समाज में कोई दुर्बल, पीड़ित, वंचित, शोषित न रहे ऐसी समाज की स्थिति निर्माण हो। सेवा कार्य के माध्यम से समस्त समाज को आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, आत्मविश्वास से युक्त, निर्दोष अर्थात कुरीतियों से मुक्त बनाना और राष्ट्र की उन्नति में उनका सहभाग बढ़ाना है।

कोरोना मरीजों को एडमिशन न देने वाले अस्पतालों पर होगी अब कार्रवाई

» राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

» अनावश्यक दवाईयां न देने के संबंध में भी विभाग द्वारा नीति निर्धारित की गई

रायपुर (आरएनएस)। राज्य सरकार ने आज आदेश जारी किया है जिसके तहत बिस्तर उपलब्ध होने पर भी कोरोना मरीजों को एडमिशन न देने वाले अस्पतालों पर अब कार्यवाही की जायेगी।

जारी आदेश के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर द्वारा 5 अलग-अलग दल बनाए जाएंगे जो कि निजी अस्पतालों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि पोर्टल पर बेड उपलब्धता की जानकारी अद्यतन रहे एवं बेड उपलब्ध होने की स्थिति में किसी भी मरीज को भर्ती होने से वंचित न होना पड़े। यह भ्रमण दल अस्पतालों में मरीजों से मिल यह भी ज्ञात करेंगे कि अस्पताल द्वारा मरीजों को भर्ती से वंचित तो नहीं किया जा रहा है यदि कोई अस्पताल बेड उपलब्ध होने के बावजूद भर्ती करने से इंकार करता है तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ उपचर्या गृह एवं रोगोपचार संबंधी स्थापनाए अधिनियम 2010 एवं नियम 2013 महामारी अधिनियिम 1897 की कंडिका दो एवं छग एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 की कंडिका 3 के अंतर्गत ऐसे अस्पतालों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली द्वारा जारी किये गए नए प्रोटोकाल अनुसार एवं राज्य के वरिष्ठ डाक्टरों की अनुशंसा पर कोविड के ईलाज हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छग द्वारा नया प्रोटोकॉल जारी किया गया है। जिसके तहत एम्स नई दिल्ली एवं आईसीएमआर की अनुशंसा अनुसार ये निर्देश जारी किए गए है कि रेमेडीसिविर, टोसीलिजुमाब एवं प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग केवल अस्पतालों में ही किया जाए। इन दवाओं के प्रिस्क्राइब करने वाले डाक्टर की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इन दवाओं के संबंध में मरीज की आवश्यकता का आकलन कर लें एवं यह भी सुनिश्चित कर लें कि मरीज को अन्य कोई गंभीर बीमारी तो नहीं, यह दवाएं अभी एक्सपेरीमेंटल दवाएं है।

कोरोना को मात देने अखिल विश्व गायत्री परिवार ने यज्ञ का आयोजन, हजारों भक्त हुए शामिल

रायपुर (आरएनएस)। वैश्विक स्तर पर छाए हुए कोरोना वायरस की महामारी के निवारण हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अनेकानेक वैज्ञानिक भी यज्ञ की महिमा को जानकर प्रेरित और संकल्पित हो रहे है। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा वर्ष 2017 से 2026 तक गृहे-गृहे गायत्री यज्ञ उपासना वर्ष के रुप में मना रहा है। इसी कड़ी में सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय का संकल्प के साथ कोरोना से मुक्ति, पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण, वातावरण का परिशोधन, समर्थ राष्ट्र निर्माण, वैचारिक उत्कृष्टता, समाज में छाई हुई विकृतियों को नष्ट तथा सत्प्रवृतत्तियों के संवर्धन के लिये 03 मई को आयोजित गृहे गृहे गायत्री यज्ञ में भारत के साथ साथ अनेक देशों में विश्व भर के करोड़ों साधको ने आयुर्वेदिक औषधियुक्त हवन सामाग्री के साथ गायत्री, महामृत्यंजय एवं सूर्य (आदित्य) मंत्रों के उच्चारण कर यज्ञ में आहूती अर्पित की। ''गृहे-गृहे गायत्री यज्ञ-उपासना'' का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण है। वेद-पुराण और आयुर्वेदिक ग्रंथों में स्वास्थ्य रक्षा के लिये अनेक मंत्रों व उपयों का उल्लेख है। वैदिक काल के ये मंत्र यज्ञ और ये उपाय आज भी अचूक है। इन्ही तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह आयोजन किया गया। पूरे विश्व में एक दिन एक साथ यज्ञ करने पर प्रयुक्त हवन सामाग्री से जो धूम्र उत्पन्न होगा वह पूरे ब्रम्हाण्ड में समाहित होकर संपूर्ण वातावरण को शुद्ध करेगा।

गायत्री परिवार छत्तीसगढ़ के जोन समन्वयक दिलीप पाणीग्रही ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी गृहे-गृहे गायत्री यज्ञ के लिए गयत्री परिवार के परिजनों द्वारा अपने अपने घरों से ही दिनांक 02 मई प्रातः 06 बजे से 03 मई की प्रातः 06 बजे तक 24 घंटे का अखण्ड गायत्री मंत्र जप करते हुए इसकी पूर्णाहुति यज्ञ के द्वारा किया गया।छत्तीसगढ़ में डेड़ लाख घरों में यह यज्ञ सम्पन्न हुआ।

दिनांक 2 मई को डॉक्टर चिन्मय पंड्या प्रतिकुलपति, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार ने दूरभाष से 03 मई को किये जाने वाले गृहे गृहे गायत्री यज्ञ के पुनीत कार्य के लिए शुभकामना व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ के गायत्री परिवार आपदा प्रबंधन वाहिनी द्वारा जरुरतमंदों को ऑक्सीजन , निशुल्क मनोवैज्ञानिक परामर्श, निशुल्क भोजन एवं दवा का वितरण आदि किये जा रहे कार्यो हेतु समस्त कार्यकर्ता जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्य मे जुड़े है उन्हें बधाई एवं आशीर्वाद प्रदान किया गया।

कोरोना पर नियंत्रण के लिए 6.29 लाख लोगों को दी गई दवा किट

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए इसके छह लाख 29 हजार 268 संदिग्ध मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाईयों की किट वितरित की गई है। विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले व्यक्तियों के त्वरित इलाज और उन्हें गंभीर स्थिति में पहुंचने से बचाने के लिए मितानिनों एवं सर्विलेंस टीमों द्वारा दवाईयों की किट उपलब्ध कराई जा रही है। इस किट में आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, पैरासिटामॉल, विटामिन-सी और जिंक की टैबलेट शामिल हैं। कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों को दवा किट उपलब्ध कराने के कई जिलों में अच्छे परिणाम आए हैं और वहां संक्रमण की दर में गिरावट आई है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में अब तक कोरोना के लक्षण वाले दो लाख 93 हजार 262 लोगों को दवा किट उपलब्ध कराई गई है। जांच केंद्रों और अस्पतालों में कोरोना जांच के लिए पहुंच रहे इसके लक्षण वाले दो लाख 55 हजार 471 लोगों को भी दवा किट मुहैया कराया गया है। मितानिनों और सर्विलेंस टीमों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों व कन्टेनमेंट जोनों में एक्टिव सर्विलेंस के दौरान मिले 80 हजार 535 व्यक्तियों को भी कोरोना के इलाज और बचाव के लिए दवाईयां दी गई हैं।

स्प्रिट पीने के मामले में उपचार के दौरान तीसरे युवक की मौत

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर में स्प्रिट पीने के मामले में तीन युवक की उपचार के दौरान मौत होने की जानकारी सामने आई है। इसमें बेहद गंभीर तीसरे युवक की मौत हो गई है। मृतक युवक चंदन तिवारी है। चंदन का मेकाहारा अस्पताल में इलाज चल रहा था। वहीं, अब तक स्प्रिट पीने वाले चार युवकों में से तीन की मौत हो चुकी है। यह पूरा मामला गोलबाजार थाना क्षेत्र राजधानी रायपुर के लालगंगा शॉपिंग मॉल के पीछे स्थित राजीव आवास में रहने वाले नशे के आदी चार लोगों ने स्प्रिट का सेवन कर लिया। चारों को गंभीर हालत में अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात दो युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक अन्य ने सोमवार दिन में दम तोड़ दिया।

मामला गोल बाजार इलाके के लालगंगा शॉपिंग मॉल के पीछे स्थित राजीव आवासीय परिसर इलाके का है। यहां रहने वाले अनिल छेडया, विजय कुमार चौहान, चंदन तिवारी और राजू छुरा ने स्प्रिट का सेवन किया। इलाज के दौरान विजय कुमार चौहान समेत दो की मौत हो गयी है। वहीं दो की हालत गंभीर बनी थी। लेकिन एक ने दम तोड़ दिया।

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को एक मृत्यु कार्यक्रम में ये चारों व्यक्ति शामिल हुए थे। वहीं, स्प्रिट का सेवन किया था। इसके बाद चारों की रविवार सुबह से तबियत बिगड़नी शुरू हुई। इनके घर वालों ने अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलने बाद गोल बाजार थाना पुलिस समेत आलाधिकारी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरो से जानकारी ली।

गोल बाजार थाना इलाके के इस राजीव आवसीय परिसर में स्प्रिट पीने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पिछले लॉकडाउन के दौरान तीन अप्रैल 2020 को इलाके के रहने वाले दिनेश समुंदरे, अजय कुंजाम और असगर अली ने शराब की जगह स्प्रिट पी लिया था, जिससे तीनों की मौत हो गई थी

पिछले साल हुई मौत के मामले में पुलिस अब तक इस बात की जानकारी नहीं जुटा पाई थी कि मृतक आखिर स्प्रिट कहां से लेकर आये थे। फिलहाल इस बार भी गोल बाजार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक सोमवार सुबह राजू छुरा नामक युवक ने दम तोड़ दिया। अनिल छेडया का इलाज जारी है।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कृष्ण सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक नीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री सीतारमण को लिखा पत्र

» कोविड-19 संक्रमण को रोकने 9 अप्रैल से 6 मई तक पूर्ण कंटेनमेंट जोन घोषित होने के कारण राज्य के लघु और मध्यम व्यवसायियों की परेशानियों को देखते हुए उन्हें वांछित राहत प्रदान करने का किया अनुरोध

» छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से की मांग

» व्यवसायियों द्वारा विभिन्न प्रकार की विवरणियों को प्रस्तुत करने की अप्रैल एवं मई माह की तिथियों को दो माह के लिए बढ़ाया जाए

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर प्रदेश में वर्तमान में 9 अप्रैल से 6 मई की सुबह तक कंटैनमेंट जोन घोषित होने के कारण राज्य के लघु और मध्यम व्यवसायियों की परेशानियों को देखते हुए उन्हें वांछित राहत प्रदान करने का अनुरोध किया है। श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अनुरोध पर केन्द्र सरकार से मांग की है कि व्यवसायियों द्वारा विभिन्न प्रकार की विवरणियों को प्रस्तुत करने की अप्रैल एवं मई माह की तिथियों को दो माह के लिए बढ़ाया जाए साथ ही व्यवसाय संचालन हेतु लिए गए ऋण के मूलधन और ब्याज की किश्तों के भुगतान की समय-सीमा को कम से कम 3 माह की स्थगन अवधि प्रदान करने पर विचार किया जाए।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र में लिखा है कि - कोविड-19 महामारी की दूसरी और अधिक घातक लहर को रोकने के अंतिम प्रभावी कदम के रूप में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित लगभग सभी जिलों में दिनांक 9 अप्रैल से प्रारंभ कर 6 मई की सुबह तक पूर्ण कटेनमेंट जोन घोषित किये जाने के कारण राज्य में आर्थिक गतिविधियां एवं व्यापार-व्यवसाय लगभग बंद है। इससे राज्य में लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यवसायियों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस आर्थिक परेशानी में उनकी सहायता के उद्देश्य से कुछ फौरी राहतों की मांग की गई है, जिन पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

श्री बघेल ने लिखा है कि - अप्रैल माह वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रथम माह होने के कारण टीडीएस एवं टीसीएस एक्ट में कई अनुपालनों की तिथियां निर्धारित है। ऐसे समय में व्यवसायियों द्वारा अपने खातों का मिलान कर विभिन्न प्रकार की विवरणियों को निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इनके कार्यालयो, प्रतिष्ठानों में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों जैसे-एकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रबंधन स्टाफइत्यादि भी कोविड से संक्रमित होने के कारण या तो होम आइसोलेशन में है अथवा अस्पताल में हैं।